न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नींबाराम पुत्र करनाराम जाति पूरोहित निवासी धानोल तहसील रानीवाडा		1. किशनसिंह पुत्र कल्याणसिंह 2. बासुकंवर पुत्री कल्याणसिंह 3. बीबाकंवर पुत्री कल्याणसिंह 4. ममताकंवर पुत्री कल्याणसिंह 5. लालकंवर पत्नि कल्याणसिंह 6. जितेन्द्रसिंह पुत्र डुंगरसिंह 7. जनकसिंह पुत्र डुंगरसिंह 8. विशालकंवर पुत्री डूंगरसिंह 9. रूपकंवर पत्नि डूगरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान धामसीन तहसील रानीवाडा 10. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 11. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा धानोल जरिये प्रबंधक रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 9 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 25.01.2024

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी 1019 रकबा 0.67 हे. व खसरा नंबर 1878 / 1018 रकबा 2.18 हे. आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नींबाराम पुत्र करनाराम जाति पुरोहित सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1019 व 1878 / 1018 के पड़ौस में पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 5 रकबा 2.19 हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नंबर 1019 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 6 से 9 की खातेदारी उक्त आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 1142 / 5 रकबा 2.18 हे. आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 से 9 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद हैं। उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थी से सीमा पर हमेशा विवाद करते रहते हैं। सीमा को लेकर विवाद होने [illegible] द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 22 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested

27.04.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी धानोल, हल्का पटवारी धामसीन, हल्का आर. आई बड़गांव दिनांक 16.05.2022 को संयुक्त रूप से मौके पर पैमाईश हेतु गये तथा मौके पर जरीब व जीपीएस की सहायता से सीमांकन किया परन्तु मौके पर विवाद होने से माठ कायम नहीं की गई। इस प्रकार तहसीलदारजी रानीवाड़ा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं हो सकी।

2. प्रार्थी की आराजी मौजा धानोल के खसरा नंबर 1019 व खसरास नंबर 1878/1018 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 5 व अप्रार्थी संख्या 6 से 9 की आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 1142/5 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थी से सीमा पर विवाद करते रहते हैं। इसलिए प्रार्थी अपने नाम की खातेदारी आराजी मौजा धानोल के खसरा नंबर 1019 तथा खसरा नंबर 1878/1018 व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 1142/5 की पैमाईश कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी आराजी की बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाने के प्रार्थी अधिकारी हैं।

   अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 1019 रकबा 0.67 हे. व खसरा नंबर 1878/1018 रकबा 2.18 हे. तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 5 रकबा 2.19 हे. व अप्रार्थी संख्या 6 से 9 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के खसरा नंबर 1142/5 रकबा 2.18 हे. के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 11 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 9 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया। अप्रार्थी संख्या 10 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से जवाब बंद किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 3, 4, 9, 17, 19, 20 की ओर जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी मौजा धानोल की सरहद में आई हुई हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की आराजी नवीन खसरा नंबर 5 व 1142/5 की आराजी राजस्व ग्राम धामसीन की सरहद में आई हुई हैं। यहां यह उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी के पुराने खसरा नंबर 4 रकबा 30 बीघा 4 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा से द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नंबर 5 रकबा 4.37 हे. सृजित कर उक्त नवीन खसरा नंबर 5 रकबा 4.37 हे. सृजित कर उक्त नवीन खसरा नंबर 5 का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नंबर 4 के रकबे माफिक अर्थात 30 बीघा 4 बिस्वा यानि 4.83 हे. दर्ज नहीं कर गलत एवं अवैध रूप से करीब 0.46हे. आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी में गलत एवं अवैध रूप से [illegible] दर्ज कर [illegible] हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही हैं। मौके पर [illegible] धामसीन व धानोल के बीच की सीमा पर पुरानी बाड़ की हुई है तथा [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से 9 अपने पूर्वाधिकारियों के समय से काबिज काश्त हैं तथा दो गांवों की सीमा का विवाद बता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested

कर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पेश किया हैं। प्रार्थी की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी के बीच की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 मौके पर अपने पूर्वाधिकारियों के समय से काबिज काश्त हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी के बीच पुरानी माठ कायम हैं तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 व प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों ने आपसी सहमति से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की उक्त आराजी के बीच की सीमा पर बाड़ की हुई हैं। उक्त तमाम तथ्य प्रार्थी ने छुपा कर यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया हैं। प्रार्थी ने राजस्व कार्मिकों से मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को बिना नोटिस दिये अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पीठ पीछे मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 तैयार की हैं, जो भी संदेहास्पद हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी के बीच पुरानी माठ कायम हैं तथा मौके पर पुरानी बाड़ की हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी की सीमा को लेकर कोई विवाद होने का प्रार्थी का कथन झुठा व बनावटी हैं। प्रार्थी प्रकरण हाजा के जरिये अपने प्रभाव का उपयोग कर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के कब्जा काश्त की आराजी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हड़प करने की मंशा पाले हुए हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की कब्जा सुद आराजी में पत्थर गड्डी करवाने का कोई अधिकार हासिल नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खर्चा खारीज फरमावे।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.50.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.67 हैक्टेयर आराजी के माठों पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया। राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1019, 1878/1018 व मौजा धामसीन के खसरा नम्बर 5, 1142/5 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1019, 1878/1018 रकबा क्रमश 0.67, 2.18 हैक्टेयर आराजी व मौजा धामसीन के खसरा नम्बर 5, 1142/5 रकबा क्रमश 2.19, 2.18 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत [illegible] द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके [illegible] मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested